## प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निर्णय (जून 1994) के अनुसार, जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक विस्तारित किया जाता है, राज्य से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, यह प्रतिवेदन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में तीन भाग हैं।

**भाग I: सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र**

इस भाग में सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभागों/ स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

**भाग II: राजस्व क्षेत्र**

इस भाग में प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

**भाग III: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

इस भाग में मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी जाने वाली सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 और 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो 2018-19 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे मामले भी, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2018-19 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा का संचालन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **भाग-I** और **II** भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं जबकि **भाग III** को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के तहत विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।